अध्याय 8

निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

8
अध्याय

8.1 निष्कर्ष

आर–ए पी डी आर पी सूचना प्रौद्योगिकी के वृहत्तर अभिग्रहण के माध्यम से सटीक आँकड़ों के संग्रह के लिए विश्वसनीय एवं स्वचालित प्रणाली को स्थापित करने पर लक्षित थी। कार्यक्रम उपभोक्ता इन्डैक्सिंग, जी आई एस मैपिंग, वितरण ट्राँसफार्मर व फीडर मीटरिंग, स्वचालित डाटा लॉगिंग तथा नियमित वितरण सुदृढ़ीकरण परियोजनाओं को समाविष्ट करते हुए परियोजना क्षेत्रों के लिए बेसलाईन डाटा की तैयारी के माध्यम से बेहतर निष्पादन हेतु वहनीय हानि को कम करने तथा आंतरिक जवाबदेही को प्रबलित करने पर लक्षित था।

वास्तविक बजटीय राशि मूल रूप से विचारित राशि की केवल 39.32 प्रतिशत होने से योजना के कार्यान्वयन की गति धीमी थी जबकि निर्गमन और भी कम थे। चयनित सैंपल में जाँची गई अनेक परियोजनाओं में केवल पहली किस्त को निर्गत किया गया था। समकक्ष निधिकरण को निर्धारित अवधि के भीतर अनेक प्रायोगिकियों के द्वारा सम्बद्व भी नहीं किया गया था। परियोजना डी पी आर के मूल्याँकन में कमियाँ थी। यह पाया गया कि डी पी आर आदर्श डी पी आर के अनुरूप तैयार नहीं किये जा रहे थे। संचालन समिति के अनुमोदन के बिना परियोजनाओं की लागत में संशोधन के दृष्टांत भी पाए थे। कुछ मामलों में, निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए राज्य डी आर सी की अनुशंसा के बिना संचालन समिति द्वारा डी पी आर मूल्यांकित एवं अनुमोदित किये गए थे। पुनर्निविदा, गुणवत्ता नियंत्रण में कमियों के कारण अतिरिक्त व्यय के दृष्टांत भी पाए गए।

यद्यपि प्रायोगिकियों को स्वीकृत लागत का केवल 50 प्रतिशत ही वितरित किया गया था फिर भी करीब 80 प्रतिशत शहर को 'गो–लाईव' घोषित किया गया। यह पाया गया था कि एम ओ पी के अनुमोदन या सत्यापन के बिना स्वयं राज्यों द्वारा 'गो–लाईव' घोषित किये गए। इसके अतिरिक्त, 'गो–लाईव' घोषित किये गए 100 से अधिक शहरों में बेसलाईन के संबंध में ए टी एण्ड सी हानियाँ बढ़ी थी अथवा उत्पन्न नहीं की जा सकी थीं। इसके अलावा, ए टी एण्ड सी हानियों की गणना करने के लिए अपनायी गयी प्रणाली, यद्यपि अधिकथित थीं, लेकिन उनका समरूप

अनुकरण नहीं किया गया था जिससे ए टी एण्ड ंसी हानियों का विविधतापूर्ण आकलन हुआ। 12 राज्यों में ऊर्जा लेखांकन एवं लेखापरीक्षा नहीं की जा रही थी क्योंकि भाग ए परियोजनाओं को पूर्ण किया जाना तथा डाटा संग्रह के लिए विभिन्न मॉड्यूल्स को समाहित करना शेष था।

8.2 अनुशंसाएं

समापन सम्मेलन में अनुशंसाओं पर चर्चा की गई थी तथा एम ओ पी द्वारा अधिकाँश अनुशंसाओं को स्वीकार किया गया था। लेखापरीक्षा की अनुशंसाओं को नीचे प्रस्तुत किया गया हैः

1. मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि प्रायोगिकियाँ धनराशि जारी होने से पूर्व समकक्ष धनराशि को तय कर लें।

2. मंत्रालय यह सुनिश्चित करे कि सम्बन्धित प्रायोगिकियाँ उपयोगिता प्रमाण पत्र को सामान्य वित्तीय नियमों में दी गई समयसीमा के अनुसार प्रस्तुत करें।

3. मंत्रालय को प्राप्त नहीं किए गए माइलस्टोनों के कारणों तथा उस पर की गई कार्यवाही के साथ–साथ राज्य प्रायोगिकियों द्वारा तय किये गये लक्ष्यों की तुलना में प्राप्त किये गये माइलस्टोनों को सूचित करने की प्रक्रिया विकसित करने पर विचार करना चाहिये।

4. मंत्रालय को 100 प्रतिशत मीटर लगाने की प्रक्रिया सुनिश्चित करनी चाहिये जिससे कि कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों के बेसलाइन आँकड़े सत्यापित हों, कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों का वार्षिक सत्यापन हो तथा ऊर्जा का प्रभावशाली लेखा निर्माण एवं लेखापरीक्षा हो सके।

5. मंत्रालय परियोजना क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर विशेष न्यायालय तथा सतर्कता दस्ते स्थापित करने हेतु राज्यों को प्रोत्साहित कर सकता है जिससे कि अपराधों की शीघ्र सुनवाई हो एवं बिजली चोरी रोकी जा सके, जिससे वाणिज्यिक नुकसान कम हों।

6. वितरण सुधार समिति तथा संचालन/पुनरीक्षण समिति के स्तर पर निगरानी एवं मूल्यांकन प्रक्रिया को मजबूत किया जाना चाहिये जिससे कि परियोजनाएँ समय पर पूर्ण हों।

न. मुंशी

दिनांक: 08 नवम्बर 2016
स्थानः नई दिल्ली

(नन्दना मुंशी)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
(आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय)

प्रतिहस्ताक्षरित

दिनांक: 08 नवम्बर 2016
स्थानः नई दिल्ली

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक